न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2– विभागीय प्रतिनिधि

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3212 रकबा 1.82 हैक्टेयर बने हैं जिसमें से आ. नं. 3212/1 रकबा 0.10 है. जो विपक्षी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में पुलिस चौकी गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो कि राजस्थान भू राजस्व

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3212/1 रकबा 0.10 हैक्टेयर को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाडी बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 3212 रकबा 1.82 में से 0.10 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है जो विधि-विपरीत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से निरस्त योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

विभागीय प्रतिनिधि का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि नाडी नहीं होकर बिलानाम होना स्वीकार है। मौके पर कोई नाडी नहीं होकर उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है आम जनता के हितों की सुरक्षा हेतु विपक्षी को पुलिस चौकी हेतु यह रकबा आवंटित हुआ है जो विधिनुकूल है। भूमिधारी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त रेकार्ड में हाथ से कांट छांटकर नाडी शब्द जोडा गया है। उक्त आवंटन शुदा भूमि का नामान्तकरण विपक्षी के पक्ष में होकर पुलिस चौकी गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रेफरेन्स अवधि बाहर है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त अभिलेख/दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्विवाद रुप से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि का जो रेकार्ड प्रस्तुत किया है उसमें भूमि की किस्म नाडी दर्ज नहीं है बल्कि भूमिधारी, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उसमें हाथ से भूमि की किस्म नाडी जोड़ा गया है तथा इस संबंध में भूमिधारी एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई तर्क/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्यों कर उनके द्वारा महकमा बन्दोबस्त के रेकार्ड में हाथ से आगे भूमि की किस्म नाडी दर्ज किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 15/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बनाम पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1049 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि की किस्म नाडी होना प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: